संख्या-220/2021/938रासनि/23-1-21-117रासनि/20

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 06 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 लेखाशीषक-5054 के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में राज्य राजमार्ग-141 के कि0मी0 58 से अहिरवा मार्ग से भसुआहार सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण एवं अनुरक्षण के स्वीकृत कार्य के संबंध में निर्गत आदेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-3856(54-VII)समग्र वृत्त/2021-22 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जनपद मैनपुरी में कार्य का नाम 'राज्य राजमार्ग-141 के कि0मी0 58 से अहिरवा मार्ग से भसुआहार सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण एवं अनुरक्षण के स्थान पर 'राज्य राजमार्ग-141 के कि0मी0 58 से अहिरवा मार्ग से भसुआहार सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण' तथा स्वीकृत कार्य की लम्बाई- 2.30 कि0मी0 के स्थान पर 1.70 कि0मी0 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश सं0-116/2021-637रासनि/23-1-21-117रासनि/20, दिनांक 25.03.2021 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-781 पर अंकित जनपद मैनपुरी के मार्ग का नाम व लम्बाई त्रुटिवश क्रमशः राज्य राजमार्ग-141 के कि0मी0 58 से अहिरवा मार्ग से भसुआहार सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण एवं अनुरक्षण कार्य एवं 2.30 कि0मी0 अंकित हो गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-116/2021-637रासनि/23-1-21-117रासनि/20, दिनांक 25.03.2021 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-781 पर अंकित जनपद मैनपुरी के स्वीकृत कार्य को निम्नानुसार पढ़ा व समझा जाय:-

स्वीकृत		संशोधित	
कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)
राज्य राजमार्ग-141 के कि0मी0 58 से अहिरवा मार्ग से भसुआहार सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण एवं अनुरक्षण कार्य।	2.30	राज्य राजमार्ग-141 के कि0मी0 58 से अहिरवा मार्ग से भसुआहार सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	1.70

4- विषयगत शासनादेश सं0-116/2021-637रासनि/23-1–21-117रासनि/20, दिनांक 25.03.2021 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या- /2021/ रासनि (1)/23-1-21, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मैनपुरी।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
7. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. लोक निर्माण अनुभाग-10
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।